2019/00136

**न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर**
**पीठासीन अधिकारी :– प्रदीपसिंह सांगावत, आर.ए.एस.**

**प्रकरण संख्या 07/2019 (बांसवाड़ा डिक्री)**

कालिया पिता बदिया, जाति भील, निवासी आसन, तहसील गढ़ी, जिला बांसवाड़ा (राज.)

............ अपीलान्ट

**बनाम**

धुला पिता हुका, जाति भील, निवासी भीमपुर, तहसील गढ़ी, जिला बांसवाड़ा (राज.)

................रेस्पोन्डेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान
का.अ. 1955 विरूद्ध निर्णय व डिक्री
उपखण्ड अधिकारी, गढ़ी दिनांक
12.04.2017 प्रकरण संख्या 66/16

———/———

उपस्थित :– 1– श्री तसलीम अहमद अभिभाषक अपीलान्ट
2– श्री भगवतपुरी अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट

———::———

**निर्णय** **दिनांक 25–07–2024**

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल रेस्पोन्डेन्ट ने एक वाद बाबत् अन्तर्गत धारा 88, 188, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम भीमपुर की आराजी नंबर 2810, 1032, 1038, 1048, 1053, 1067, 1068, 1112, 1115, 1130, 1134, 1217, 1227 कुल किता 13 रकबा 9 बीघा 11 बिस्वा भूमि स्थित होकर वादी व उसके भाई लाला, मंगला, हकरू के नाम संयुक्त खाते व कब्जे की होकर राजस्व रेकार्ड में दर्ज है। वादी के पुत्र हीरजी व वादी के भाईयों ने मिलकर राजस्व कर्मचारियों के समक्ष गलत तथ्य प्रस्तुत कर वादी को मृतक बताकर उसके हिस्से की भूमि परिशोधन पत्र द्वारा दिनांक 01–08–1982 को हीरजी के नाम दर्ज करवा ली। वादी के हिस्से की आराजी नंबर 1217, 1228, 1038, 1032, 1067, 1227, जिसके हाल आराजी नंबर 1133, 1197, 1204, 1214, 1216, [illegible] कुल रकबा 0.35 हैक्टर भूमि है, जिस पर आज [illegible] का कब्जा [illegible] है, वादी की पीठ पीछे

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:48:19 IST
Reason: SelfAttested

भू.प्र. [illegible] अ.
उदयपुर (राज.)

अवैध तरीके से वादी को मृतक बताकर वादी के पुत्र हीरजी के नाम दर्ज करवा ली, जो अवैध होकर काबिल निरस्ती के है तथा वादी के मुकाबले शून्य है। उक्त आराजी हीरजी की मृत्यु के बाद उसके पुत्र दिनेश व प्रवीण के नाम दर्ज हो गयी, दिनेश की मृत्यु हो चुकी है तथा वादग्रस्त आराजियात प्रवीण के नाम दर्ज हो जाने से विक्रय करने की धमकी देता है। अतः विवादित आराजी नंबर 1133, 1197, 1204, 1214, 1216, 1217, 1237 कुल रकबा 0.35 हैक्टर का वादी को खातेदार घोषित किया जाकर राजस्व रेकार्ड में वादी के नाम दर्ज की जावे तथा प्रतिवादी को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे।

अधिनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 12–04–2017 से वादी का वाद स्वीकार कर डिक्री जारी की, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट द्वारा यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 22–07–2019 को प्रस्तुत की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्ट को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट की ओर से अधिवक्ता श्री भगवतपुरी उपस्थित हुए। अधिनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया जाकर अभिभाषक उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि दिनांक 01–07–2019 को रेस्पोन्डेन्ट/वादी जब विवादित भूमि पर अवैध रूप से प्रवेश करने लगे तो उक्त निर्णय की जानकारी हुई। जानबूझकर विलम्ब नहीं किया गया है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपील अन्दर मियाद शुमार की जावे। ताईद में शपथ पत्र प्रस्तुत किया।

हमने उक्त प्रार्थना पत्र पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। प्रकरण में गुणावगुण पर निर्णय करने के दृष्टिगत न्यायहित में प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अपील श्रवणार्थ ग्रहण की जाती है।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः वक्त बहस दोहराते हुए बताया कि विवादित सर्वे नंबर 1183 रकबा 0.08 का अपीलान्ट रेकार्डेड खातेदार होकर उसे बिना पक्षकार बनाये एवं बिना सुने निर्णय पारित किया गया है, जबकि कानूनन [illegible] खातेदार को पक्षकार बनाकर सुना जाना आवश्यक था। अतः अपील [illegible] स्वीकार की जाकर

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:48:19 IST
Reason: SelfAttested

भू.प्र.अ. एवं [illegible]
उदयपुर (राज.)

अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय एवं डिक्री निरस्त की जावे तथा अपीलान्ट को सर्वे नंबर 1183 रकबा 0.08 हैक्टर का खातेदार घोषित किया जावे।

रेस्पोन्डेन्ट के विद्वान अभिभाषक ने उक्त बहस का जवाब देते हुए बताया कि विवादित आराजियात से अपीलान्ट का कोई संबंध नहीं है। अधिनस्थ न्यायालय ने प्रकरण पर उपलब्ध साक्ष्यों के अनुरूप निर्णय पारित किया है, जो विधि सम्मत है। अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जावे।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अध्ययन किया। अपीलान्ट द्वारा हमारे सम्मुख आदेश 41 नियम 27 जा.दी. के आवेदन के साथ जो दस्तावेजात प्रस्तुत किये गये हैं, उसके अनुसार विवादित आराजी नंबर 1183 रकबा 0.08 हैक्टर भूमि जरिये रजिस्टर्ड विकय पत्र दिनांक 21–09–2000 से अपीलान्ट द्वारा हूरजी पिता धूला से कय की जाना स्पष्ट प्रकट होता है तथा जमाबन्दी संवत् 2061 से 2064 में अपीलान्ट के खातेदारी में उक्त आराजी अंकित है, किन्तु वादी/रेस्पोन्डेन्ट द्वारा अपीलान्ट को अधिनस्थ न्यायालय में पक्षकार नहीं बनाये जाने से उसे अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर प्राप्त नहीं हुआ है। तदनुसार अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री प्रथम दृष्टया त्रुटि पूर्ण होने से अपास्त योग्य है।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय एवं डिक्री 12–04–2017 अपास्त की जाती है तथा पत्रावली अधिनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि अपीलान्ट कालिया को प्रतिवादी के रूप में संस्थित कर तथा उसे सुनकर एवं साक्ष्य सबूत प्रस्तुत करने का अवसर देकर पुनः नये सिरे से निर्णय पारित करें। पक्षकारान अधिनस्थ न्यायालय में दिनांक 20–09–2024 को उपस्थित रहें। निर्णय आज दिनांक 25–07–2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे।

(प्रदीपसिंह सांगावत)
सम्भागीय अधिकारी
एवं राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:48:19 IST
Reason: SelfAttested